

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) चाँदपुर, बिजनौर।

मूल प्रकीर्ण वाद संख्या-09/2015

अब्दुल हकीम बनाम पवनेन्द्र।

06.07.2018 वाद पुकारा गया। प्रार्थी द्वारा कोई उपस्थित नहीं। विपक्षी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी उक्त वाद को चलाने में रूचि नहीं लेना चाहता है। अतः प्रार्थी का वाद प्रार्थी की गैर हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विमल प्रकाश आर्य)
सिविल जज (अवर खण्ड)
चाँदपुर, बिजनौर।